सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 06/2014(प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2014/00043

अनवान

1. श्री रूपसी पिता रामजी मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
2. श्री सींगाराम पिता रामजी मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
3. श्री नारायण पिता रामजी मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
4. श्री देवीलाल पिता रामजी मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
5. श्री बद्रीलाल पिता धुला मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
6. श्री वालाराम पिता धुला मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
7. श्री संदीप पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
8. श्री रमेशचन्द्र पिता धुला मीणा, निवासी कलासुआ फला बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पिता बाबूलाल मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती रेखा पत्नी ओमप्रकाश मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा, जिला उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री गोपाल सिंह चौहान, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 व 2

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक : 30-01-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा बंजारिया, तहसील खेरवाडा में आराजी संख्या 1218 रकबा 0.58 हेक्टेयर, 1219 रकबा 1.40 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 1.98 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा उनके पिता के समय से करीब 50 वर्ष से चला आ रहा है एवं इसमें उगने वाली घास पर प्रार्थीगण के

मवेशी चरते है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही कुटुम्ब से है तथा विपक्षीगण के पास पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध है। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 06.02.2013 को गांव बंजारिया में विशेष राजस्व अभियान के तहत उक्त आराजी के आवंटन हेतु आवेदन कर विधि विरूद्ध तरीके से अवैध आवंटन स्वयं के नाम करवा लिया। आवंटन कमेटी ने मौके पर भूमि का निरीक्षण नहीं किया एवं न ही आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 को कब्जा सुपुर्द किया है तथा जिस खसरा नम्बर का आवंटन किया है उसका नक्शा ट्रेस व सीमाये भी अंकित नही की गयी है। उक्त आवंटन में मिसप्रजेन्टेशन होने से एवं राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 5 से 11 की पालना न होने से उक्त आवंटन शून्य होकर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी सं. 1 एवं 2 की ओर से श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता ने वकालात पत्र पेश कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित हैं। उक्त विवादित आराजीयात 1218 एवं 1219 पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है न ही उनके द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर कभी कोई काश्त की गयी है। विपक्षी संख्या 1 व 2 भूमिहीन काश्तकार है तथा आवंटन कमेटी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर, मौके पर पटवारी द्वारा निरीक्षण कर पूर्ण रूप से वैध तरीके से उक्त आवंटन आदेश जारी किया गया है। आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 17.07.2013 को कब्जा सुपुर्द किया गया है जिसमें खसरा नम्बर का पूर्ण रूप से नक्शा ट्रेस एवं सीमायें तय की गयी है। आवंटन पूर्ण रूप से सही तथ्यों एवं कब्जे के आधार पर होने के कारण विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन बहाल रखे जाने योग्य है। पुराना कब्जा होने के कारण विपक्षी संख्या 1 व 2 को समय–समय पर तहसीलदार, खेरवाडा द्वारा धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किये गये है जिसकी पेनाल्टि भी विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जमा करायी गयी है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है एवं न ही उनका विवादित आराजीयात पर कब्जा है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया आवंटन नियमानुकुल होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार, खेरवाडा से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार, खेरवाडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/आ.नि./2018/664 दिनांक 13.06.2018 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में इस न्यायालय को अवगत कराया है कि मौजा बंजारिया की हाल आराजी नं. 1218 रकबा 0.58 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 3119/1219 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.98 हेक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 600 पर विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः ओमप्रकाश पिता बाबूलाल मीणा व श्रीमती रेखा पत्नी ओमप्रकाश मीणा, निवासी बंजारिया के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकर्ड है एवं उक्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा है। तहसीलदार से मौका प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा से आवंटन

से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 465/2013 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 06.02.2013 को निरस्त करने की मांग करते हुए विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, चारो ओर बाड लगी होना, आवंटन में मिसप्रजेन्टेशन होना, प्राथमिकता का अनुसरण नही करने एवं मिलीभगत से आवंटन करने से कथित आवंटन को अवैध एवं शून्य बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया कथित आवंटन वर्ष 2013 का है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन में किस प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ है, इसका उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रार्थीगण के पास धारा 91 के नोटिस न होने, कोरम पूर्ण होने, मौका रिपोर्ट विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में होने, कब्जा विधिवत सुपुर्द होने आदि तथ्यो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित हो निराधार होने से सव्यय खारिज किया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के जवाब, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित साबिक आराजी संख्या 1218 रकबा 0.58 हेक्टेयर, 1219 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.98 हेक्टेयर का है, जिसके हाल आराजी नम्बर 1218 रकबा 0.58 हेक्टेयर तथा 3119/1219 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.98 हेक्टेयर है। जिस पर उभयपक्ष द्वारा अपना–अपना कब्जा बताया जा रहा है। आवंटन पत्रावली संख्या 465/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर विधायक, विकास अधिकारी, सरपंच, प्रधान, तहसीलदार आदि के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के भी हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण राय के आधार पर हुआ है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता के रूप में विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं गवाहान की उपस्थिति में मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से

चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का ही कब्जा होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में किसी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा बंजारिया, तहसील खेरवाडा की साबिक आराजी संख्या 1218 रकबा 0.58 हेक्टेयर, 1219 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.98 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा द्वारा मिसल नम्बर 465/2013 से विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः श्री ओमप्रकाश पिता बाबूलाल मीणा एवं श्रीमती रेखा पत्नी ओमप्रकाश मीणा के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 06.02.2013 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर